We will issue immediate orders so that the wheat which has become wet by the sea water can be dried as early as possible and after proper drying and after seeing its condition it can be reused. In this case also in some of the godowns the foodgrains got damaged because of certain conditions. As pointed out by the hon. Member, we will look into the matter.

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछने से पहले एक जानकारी देना चाहता हू कि मार्च 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो सरकार ने सार्वजनिक तौर पर एक घोषणा की थी कि आने वाले पांच सालों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो पांच जीवनावश्यक वस्तुए बेची जाती है, वितरित की जाती है, उनके मुल्य स्थिर रहेंगे वह मूल्य आज एक स्थिर है और दो साल तक स्थिर रहेंगे । इसका एक बड़ा अच्छा प्रतिसाद महाराष्ट्र में मिला है और सरकार का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है । तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना है या केन्द्र सरकार कोई ऐसी योजना बाकी के राज्यों के लिए भी बनाना चाहती है ताकी बाकी राज्यों पर कंपलसरी या उनकी इच्छा के अनुसार यह निर्धारित किया जा सके कि हर राज्य में जीवनावश्यक चीजों के प्राइस कुछ सालों तक निर्धारित रहे, फिक्स रहे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर्म कोशिश तो यह रहती है कि पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टां को रिफोर्म किया जाए । क्योंकि यह ऐसा काम है तो बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, इसलिए इसमें कही थोडी बहुत कोताही भी हो जाती है । लेकिन जैसा महाराष्ट्र में बता रहे है कि अच्छे ढ़ंग से चल रहा है, उसकी लेकर हम और जगह पर भी कोशिश कर रहे है । जो कुछ कहीं हमें दिखायी देता है कि इसमें कही कमी है, इसकों पूरा किया जाए, ऐसे ऐफटर्स कॉन्सटेंटली चलते रहे है ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: चेयरमैं सर, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची है – विभिन्न राज्यों से शिकायतें मिली है कि यह सूची पूर्ण नहीं है । इससे कहीं ज्यादा संख्या में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग है । यह शिकायतें प्रायः हर प्रखंड से आ रही है । मै सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट बिहार के बारे में है कि जिस संख्या के आधार पर वहां गरीबी रेखा से नीचे के परिवार वालों के लिए राशन आबंटित हो रहा है, उससे अधिक राशन उनकी वास्तविक संख्या को देखते हुए आबंटित करने की जरूरत है? अगर ऐसी रिपोर्ट है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार उसके अनुरूप राशान का आबंटन करती है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यह जो लकड़वाला रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक बिहार की तादात, बिलों पॉवर्टि लाइन की, बढ़ा दी गयी है, पचास परसेंट के गरीब आबादी वहां पॉवर्टी लाइन है । उसके लिए सारे प्रावधान किये जाते है । बिलों पॉवर्टि लाइन को बहुत कम कीमत पर अनाद दिया जाता है – 250 रूपये गेंहू और 350 रूपए चावल – इस कीमत पर उनको दिए जाते है । और तकरीबन पचास परसेंट – जैसा उन्होने रिकोड किया था, उसके मुताबिक मुकर्रर कर दिया गया और उतनी सप्लाई की जाती है ।

*242. the *Questioner (Shri Raj Nath Singh) was absent for answer vide col... infra.]*

Procurement of Wheat by Government Agencies

*243, SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total quantity of wheat procured by Government agencies during the current ratri crop so far;

(b) whether there is any shortfall in wheat procurement this year vis-a-vis the last year's rabi season and if so, by what quantity; and

(c) how Government propose to make up this shortfall?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA):' (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 121.04 lakh tonnes of wheat has beeri procured upto 8.6.98 in the current Rabi Marketing Season 1998-99, as against 92.98.lakh tonnes procured during the last Rabi Marketing Season 1997-98.

The procurement of wheat so far is higher by 28.06 lakh tonnes when compared to the last season.

(c) Does not arise

श्री ओम प्रकाश कोहली: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1997-98 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन का सरकार ने क्या लक्ष्य रखा था? यदि फूड ग्रेन प्रोडक्शन लक्ष्य से कम रहा है तो कमी के क्या कारं रहे है और इस समय सरकार के पार खाद्यानो के बफर स्टोक स्तर कितना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: चेयरमैं सर, 1997-98 की जो असैसमेंट की गयी थी उससे ऐसा लग रहा था कि फूड स्टोक देश में कम होगा और अंदाजे लगाय जा रहे थे कि चार से पांच मिलियन टन तक कम होगा । ऐसी उम्मीद की जा रही थी । उसके बाद जब प्राइस फिक्स हुए है, प्राइस फिक्स होने के बाद प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है तो प्रोक्योरमेंट इस साल में अच्छी हो गयी है। इस वक्त तक की प्रोक्योरमेंट में 12 मिलियन टन से हम आगे निकल गये है और बारह प्वाइंट दो, बारह प्वाइंट ढाई तक पहुंच गये है ।

श्री ओम प्रकाश कोहली: सर, पहले प्रश्न के उत्तर में बफर स्टोक का स्तर कितना है, यह जानकारी नहीं दी गई है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर, आज से हिसाब से अगर आप बफर स्टोक जानना चाहेंगे तो यह 27 मिलियन टन के ऊपर है, 28 मिलियन टन के करीब जा रहा है, 27-28 मिलियन टन के दरिम्यान जा रहा है क्योंकि अभी भी कुछ प्रोक्योरमेंट चल रही है। इसलिए मैं आज की सही स्थिति नहीं बता सकूंगा लेकिन 27 मिलियन टन को हम क्रास कर गए है और मुझे उम्मीद है कि 28 मिलियन टन यह स्टोक हो जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश कोहली: सभापती महोदय, मेरा दूसर पूरक प्रश्न है कि खद्यान के अन्तर्गत आने वाले सिंचित क्षेत्र का विस्तार में कितनी वृद्धि हुई है और नौवीं योजना में सिंचित क्षेत्र के विस्तार का क्या मक्ष्य रखा गया है?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, that is a question concerning the Agricultural Department. I am sorry, I won't be able to answer.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Mr. Ansari.

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहुंगा कि इस आल सरकार ने गेंहू की जो कीमत तय की है उसके अनुसार खासक्र के बिहार में किसानों की उस कीमत पर सरकारी एजेंसियों द्वारा या फूड कारपोरशन ऑफ इंडिया के द्वार गेंहू की खरीद करने की कोई व्यवस्था है? मेरी जानकारी में बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । विभिन्न केन्द्रो से या निजी केंद्रों से सरकार गेंहू की खरीद करे । वहां किसान अपने गेंहू की फसल ले जाए और बेचे इसकीइ कोई व्यवस्था बिहार में और दूसरे राज्यों में नहीं है । जैसे पंजाब और हरियाणा में तो इसकी व्यवस्था है लेकिन बिहार और दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है । मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसान की फसल का जो आप मूल्य निर्धारित करते है, वह किसान को मिले इसके लिए बिहार में बिहार में और अन्य दूसरे राज्यों में जहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां पर आपकी इस तरह की कोई खरीद की व्यवस्था करने की योजना है?

†**شری جلال الدین انصاری:** سبھا پتی مہودے، میں مانیئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سال سرکار نے گیہوں کی جو قیمت طے کی ہے اس کے مطابق خاص کر کے بہار میں کسانوں کا اسی قیمت پر سرکاری ایجنسیوں دوارا یا فوڈ کارپوریشن انڈیا کے دوارا گیہوں کی خرید کرنے کی کوئی ویوستھا ہے؟ میری جانکاری میں بہار میں کوئی ایسی ویوستھا نہیں ہے۔ وبھن کیندروں میں یا نجی کیندروں میں سرکار گیہوں کی خرید کرے اور وہاں کسان اپنے گیہوں کی فصل لے جائے اور بیچے اس کی کوئی ویوستھا بہار میں اور دوسرے

†[ ]Transliteration in Arabic Script

راجیوں میں نہیں ہے۔ جیسے پنجاب اور ہریانہ میں تو اسکی ویوستھا ہےلیکن بہار اور دوسرے راجیوں میں نہیں ہے۔ میں منتری مہودے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسان کی فصل کی جوآپ قیمت نردھارت کرتے ہیں، وہ کسان کو ملے اسکے لئے بہار میں اور دیگر دوسرے راجیوں میں جہاں پر اس طرح کی ویوستھا نہیں ہے توکیا وہاں پر آپ کی اس طرح کی کوئی خرید کی ویوستھا کرنے کی یوجنا ہے۔

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: चेयरमैं साहब, मिनिमम सपोर्ट प्राइज सरकार फिक्स करती है और सरकार की कोशिश यह करती है कि कहीं इससे नीचे की कीमत पर किसान को अपना अनाज न बेचना पड़े। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंटस के को-आपरेशन की जरूरत पड़ती है। कई जगह पर स्टेट गवर्नमेट्स ने ऐसे कानून बना लिए है कि उनका मंडी सिस्टम आर्गनाइज हो गया है। जैसे अभी माननीय सद्स्य ने पंजाब और हरियांणा का जिक्र किया। इन स्टेट्स ने मंडी सिस्टम इम्प्रूव कर लिया है, स्टेट्स ने कुछ कानून बना कर के मंडी सिस्टम को आर्गनाइज कर लिया है। इसलिए उनको इसमेम कोई बहुत बडी दिक्कत नही आती है। मंडीं में बहुत बडी मात्रा में अनाज आता है और थोड़े दिन में उसकी साथ-साथ बिक्री हो जाती है और शाम तक मुकम्मल बिक्री हो करके किसान को पैसा मिल जाती हैम, वहां पर ऐसा बन्दोबस्त हो गया है। लेकिन कई स्टेट्स में अभी ऐसा आर्गनाइजेशन नहीं हुआ है। मुझे अफसोस है कि बिहर में अभी ऐषाआ आर्गनाइजेशन नहीं हो सका है। इसमें सेन्ट्ल गवर्नमेंट बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है सिवाय यह करने के कि किसान को सपोर्ट प्राइज से कम दाम पर अपनी फसल न बेचनी पड़े। वहां पर स्टेट गवर्नमेट को मंडी सिस्टम को आर्गनाइक करना पड़ेगा और अगर वे ऐसा कर लेंगे तो यह दिक्कत नही आएगी।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, सरकार हमेशा गेंहू खरीद का स्टॉक तय करती ह ऐ लेकिन अनेक कारणों से खरीद का स्टॉक पूरा नहीं होता है। खुले मार्केट में गेहू की दर हमेशा सरकारी खरीद से ज्यादा होती है। मै माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं की किमते यानी बढ़ी हुई दरे होने के कारणं से काश्तकर अपना माल खुले मार्केट मेम बेचना पसंद करते है परिणामस्वरूप सरकारी खरीद का स्टोक पूरा नहीं होता है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तय किए हुए स्टॉक को पूरा करने के लिए और काश्ताकारों को उचित दाम दिलवाने की दृष्टि से मार्केट की दर से गेंहू खरीद करने पर मंत्री महोदय पुनः विचार करेंगे क्या?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: चेयरमैं सर, यह जो सपोर्ट प्राइज है उसका मकसद यह है कि सरकार एक कीमत मुकर्रर करती है जो कम से कम होगी और उससे कम में किसान को अपना गेंहू बेचना न पड़े यह कोशिश रहती है। किसन को उससे ऊपर प्राइस मिल जाए तो किसान कहीं भी अपन माल बेच सकता है इसमें उसकों किसी किस्म की रूकावट नही है, वह स्टेट में बेचे, बाहर ले जाए और अब तो इजाजत है कि वह सारे देश में कही भी ले जा सकता है अगर उसको कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। गवर्नमेंट की कोशिश यह होती है कि किसान को कम कीमत पर न बेचना पड़े, डिस्ट्रस सेल न करना पड़े, अच्छी प्राइज कहीं भी मिल जाए मिल जाए तो वह बेच सकता है। ऑनरबल मेम्बर ने जैसे फरमाया कि कई जगह पर मंडी में गेंहू का दाम ज्यादा जाता है तो यह बहुत अच्छा है कि ज्यादा दाम मिल जाते है। हम तो स्पोर्ट प्राइज दे रहे है उस प्राइज पर। अगर उससे कम हो तो हम खरीदेंगे। अगर वहां से ज्यादा पैदा मिल जाए तो किसान कहीं भी बेच ले। जैसे मैने अर्ज किया था कि अच्छी प्रोक्योरमेंट हो गई है, जितनी हम चाहते थे उससे भी थोडी ज्यादा हो गई है, जितनी हमें उम्मीद थी उससे भी ज्याद हो गई है इसलिए इस साल इसमें हमे इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो रही है।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I am happy to know that in the current year the procurement has been very satisfactory. I am very happy about it. But if you take the eight years from 1990-91 to 1997-98 into account together, the agricultural sector has done very badly. In fact, our *per capita* food availability now is less than what it was in 1991. This is so despite eleven good harvests. In never happened. I am sure you know better because you are more an agriculturist than me. But it never happened that there were eleven consecutive good

harvests. We can only say, on the basis of probability, that within two or three years there will be very bad harvests. So, the procurement should be not only for this year but also for the coming years when the harvests will be bad. It is very important for us. My question is related to the policy. Now the World Bank thinks that self-reliance in food is no longer necessary and self-reliance can be achieved through treaties. I understand if you are also changing the policy, you are talking about self-reliance through treaties. This means you sell things which you can do in the world market and buy the rest of it from the world market. That is the policy. This is totally not in keeping with our traditional policy on food, that is, self-reliance. I am putting to you this question, Mr. Minister. Are you still committed to the policy of self-reliance in food, not only in food output but also in food inputs like fertilizers, pesticides and other things, or not? I would like to know this from the hon. Minister. I know the case of Japan. Despite the policy of the World Bank and the FAO, Japan has been following a policy of self-reliance very strictly in spite of the fact that it has to give subsidy and all that. There are two explanations for the failure of agriculture in India. One is that the infrastructure investment, investment in irrigation, investment in power, etc., went down. The second is that the subsidy was withdrawn. These two things are responsible for the decline in agriculture. In India agricultural performance is the worst among all the sectors. My question is whether the Minister with revise this policy and whether he will fully commit himself to a policy of self-reliance, both in terms of food production and in terms of food imports.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, self-reliance is something very important for a country like India. There is a vast population. Unless we are self-reliant in food production, people will have problems. Fortunately, at present we are coping with the situation as it is. As my hon. friend has said, there have been difficulties because the infrastructure has not been prepared to meet them. Sometimes, the input costs go high. He has mentioned all that. Inputs like fertilisers, pesticides, irrigation and all that should be available at a reasonable price so that agriculture can be boosted. We do require a boost in agricultural production in the country because, unfortunately, there is no check on population growth. It is still growing at the same pace. Unless we do that, we will have problems. So far as agriculture is concerned, I am not directly concerned with the production of food-grains. But I am sure measures are being adopted so that the food production can be increased. The National Agenda says that within the next ten years it should be doubled. That is the idea behind it. Whether we will achieve it or not, that is there to be seen. But our efforts in that direction will go on.

SHRI K.M. KHAN: Sir, since the procurement of wheat was not satisfactory in the country we had to import a certain quantum of wheat. The hon. Minister has said that this year the procurement of wheat is 28.06 lakh tonnes in excess of last year. I would like to know from the hon. Minister how much the procurement was last year. Is there any apprehension that the Government would be in need of importing wheat this year in case there is a shortfall?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, last year, procurement of wheat was slightly less than 93 lakh .tonnes. This year it is 122 lakh tonnes. That is why I mentioned that we have procured 28 lakh tonne more wheat than last year. But in 1996-97 it was still less. We had less procurement. That is why we needed to import wheat. We had discussed about it earlier. From next year I don't think there will be any need for import of foodgrains, whether wheat or rice. We will be having sufficient stocks. Now also we have sufficient stock for the whole year. I think the position is quite comfortable.

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Just now the hon. Minister said that there were shortages. But he is not coming out with the figures as to how much quantity of wheat has been contracted and how much wheat has arrived. Sir, everybody in the House knows that whenever we import wheat, we don't get good quality wheat. In our country different qualities of wheat are introduced. We always pay more price for imported wheat. I would like to know whether the Government intends to import wheat. If so, how much quantity of wheat are they going to import? At what price are they going to import it? I would like to know how much quantity of wheat has already arrived. I would also like to know whether it has been seen that its quality is good.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA Sir, this supplementary is not directly related to this question. But I would like to inform the hon. Member that 15 lakh tonnes of wheat has been contracted for import. This is Australian wheat from the Australia Wheat Board. It is on the way. Seven lakh tonnes of wheat has already arrived and 3.5 lakh tonnes of wheat is likely to arrive by the end of July. The remaining 4 lakh tonnes would come after the monsoon is over.

Cases of reduction of liability of drug companies

*244. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the MINISTER OF CHEMICALS AND .FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether specific instances of reducing liabilities of drug companies for consideration by his officers have been brought to his notice;

(b) if so, the steps taken to inquire into those irregularities and action taken against the concerned;

(c) who are the officers involved and what action has been taken against them; and

(c) the details of irregularities which have been brought to his notice, giving the complete liability worked out earlier and the liability reduced in each case?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BAR-NALA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

डा. वाई मक्ष्मी प्रसाद: सभापति महोदय, 29 जुलाई, 1994 को इसी सदन में एक रेखांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह उत्तर यह है कि:

"The liabilities in 70 cases amounting to Rs. 2S6.2 crores have been worked out till date and communicated to the companies. Out of the total liabilities in amount of Rs. 18.27 crores has been recovered from 29 companies. The balance amount is yet to be recovered. Recovery of Rs. 174 crores is involved in the proceedings before the court."

मै आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो 174 करोड़ रूपये की बाकी रकम सरकार को दी जानी है, यह वसूल की गयी है या नहीं?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, the main question is totally different. The question is:

"Whether specific instances of reducing liabilities of drug companies for consideration by his officers have been brought to his notice."

His supplementary does not relate to this question.

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद: सर, यह इसी से संबंधित है। कंपनीज की जो लायबिटीज है, उस लायबिटीज की रकम को कम करने के लिए क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने काम किया है, यह मूल प्रश्न है। इसलिए मौलिक उत्तर में यह देना पड़ेगा।

श्री सभापति: आपने कहा है कि "Whether specific instances have been brought to his notice."

इसका जवाब उन्होंने दिया है, नो सर।